झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 24.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री कमल किशोर भगत, विकास कुमार मुण्डा एवं श्री- रामचन्द्र सहिस स0वि0स0	राँची जिलान्तर्गत दिनांक-19.04.2014 को सदर थाना काण्ड सं0-155/2014, 156/2014, 157/2014 में सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कतिपय लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसका अनुसंधान 10 महीने से चल रहा है। उक्त कांडों पर संज्ञान लेते हुये भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा झारखण्ड सरकार को आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया गया था। अतः उपरोक्त कांडों के प्राथमिक अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने एवं अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	गृह
02-	श्री राजकिशोर महतो स0वि0स0	झारखण्ड अधिविद्य परिषद के विज्ञप्ति सं0-68/2006 के तहत् (तृतीय वर्ग) दैनिक पारिश्रमिक पर वाक् इन इंटरव्यू के द्वारा रामावतार महतो, ग्राम- डीमरा, थाना-गोला (रामगढ़) को चयनित किया गया, जो सितम्बर, 2006 से कार्य कर रहा था।	मानव संसाधन विकास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		इस बीच अचानक दिनांक- 26.10.2009 को अकारण इन्हें कार्य से मुक्त कर दिया गया। इनकी सेवा परिषद में लगभग तीन वर्ष से अधिक की हो गई थी। ज्ञात हो कि अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के पत्रांक- JCC/स्था0/ 3650/09/CC/ 0253/11 दिनांक- 17.12.2011 द्वारा संचिका सं0- (WP(C)- 6560 OF 2005 को अपने पास छुपाकर रखने के आरोप लगाया है। जबकि माननीय हाईकोर्ट के निर्णयानुसार उक्त संचिका के लिए ऑथरिटी यानि अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पदाधिकारी को है न कि उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का। अतः पुनः अनुभव के आधार पर श्री महतो को दैनिक पारिश्रमिक पर रखने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजना के अनुरूप झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक संवर्ग के चिकित्सकों के लिए नई D.A.C.P. (Dynamic Assured Career Progression) सुनिश्चित् वृत्ति उन्नयन योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत् जनवरी 2014 में राज्य सरकार के द्वारा 530 चिकित्सकों को D.A.C.P. का लाभ दिया गया तथा शेष लगभग 1000 चिकित्सकों को इसका लाभ अभी तक नहीं दिया गया है। इससे चिकित्सकों में क्षोभ व्याप्त है जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के चिकित्सा के क्षेत्र में पड़ रहा है। अतः शेष बचे लगभग 1000 चिकित्सकों को D.A.C.P. का लाभ यथाशीघ्र देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
04-	सर्वश्री दीपक विरूवा, चमरा लिण्डा एवं श्री पौलुस सुरीन स0वि0स0	झारखण्ड में सचिवालय सेवा के सहायकों को पाँच वर्ष एवं पदाधिकारियों को तीन वर्षो में अन्यत्र स्थानान्तरण करने का प्रावधान है तथा प्रोन्नति होने पर उन्हें दूसरे विभाग में स्थानान्तरण करने का प्रावधान है। परन्तु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में (1) श्री योगेन्द्र दुबे (2) श्री दिवाकर प्रसाद सिंह (3) श्री राहुल कुमार (4) श्री नन्द कुमार ठाकुर (5) श्री अखिलेश कुमार बाजपेई सहायक के पद पर पदस्थापित हो कर प्रशाखा पदाधिकारी एवं उप सचिव	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		के पद पर प्रोन्नति होने के पश्चात् भी अन्यत्र स्थानान्तरित न हो कर उसी विभाग में 15 वर्षो से अधिक समय से पदस्थापित है तथा (6) श्रीमती सरोजनी कुमार सिंह (7) श्री रविन्द्र रंजन (8) विजय नारायण सहाय से प्रोन्नत होकर उसी विभाग में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर गत 14 वर्षो से पदस्थापित है। साथ ही (9) श्री प्रमोद कुमार तिवारी, अवर सचिव से उप सचिव में प्रोन्नत होकर पाँच वर्षो से वहीं कार्यरत हैं तथा (10) श्री सुमन कुमार, उप सचिव से संयुक्त सचिव संवर्ग में प्रोन्नति होने के बावजूद पाँच वर्षो से अधिक समय से वहीं पर पदस्थापित है। यदि सरकार का नियम कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा ही नहीं मानी जाती है तो अन्य विभागों में क्या स्थिति होगी। अतः नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सदन का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
05-	सर्वश्री दशरथ गागरई, कुणाल-षाड़ंगी एवं श्री शशिभूषण सामाड़ स0वि0स0	सरायकेला-खरसावाँ जिला के कुचाई प्रखण्ड अन्तर्गत रोलाहातु पंचायत के 14 गाँवों में से 10 गाँव ऐसे हैं, जहाँ शुद्ध पेयजल के लिए एक भी चापाकल की व्यवस्था नहीं है। इन गाँवों के नाम है- बारूहातु, रोलाहातु, बाउगुदू, पुनीसिर, गिलुआ, डांगिल, कसराउली, लुदूबेड़ा, कोर्रा एवं सिकरंबा। इन गाँवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज भी लोग छोटे-छोटे गड्ढ़े जिसे स्थानीय भाषा में चुंआ कहा जाता है, से पीने का पानी ले रहे हैं। जो कई बिमारियों का कारण है। अतः पेयजल की इस विकट समस्या के निदान हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

राँची
दिनांक- 24 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1580/वि0स0,राँची,दिनांक- 21/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/गृह विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग/ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष विभाग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/15

(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1580/वि0स0,राँची,दिनांक- 21/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/15

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

21/03/15